कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।

पत्रांक : भ–152/2020(निविदा)

दिनाक : फरवरी 02,2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा में मानक मद–29 अनुरक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष–2020–21 हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों की निविदा राजकीय विभाग के पंजीकृत/अनुभवी निविदादाताओं से दिनांक 06.02.2021 से दिनांक 10.02.2021 को अपरान्ह 12.00 बजे तक नीचे दर्शाये गये आवासीय/अनावासीय भवनों के मरम्मत कार्यो हेतु आमंत्रित की जाती है। टेण्डर बाक्स/निविदायें दिनांक 10.02.2021 को उसी दिन को अपरान्त 02.00 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय बॉदा में अपर पुलिस अधीक्षक बॉदा की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ठेकेदार अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।

कार्य सं0	कार्य का नाम	कार्य के आगणन की धनराशि रूपयों में	कार्य पूर्ण करने की अवधि	धरोहर धरोहर	निविदा प्रपत्र का मूल्य +स्टेशनरी सहित
1.	पुलिस अधीक्षक बॉदा के आवास के ड्राइंग रूम की रीवायरिंग एवं रंगाई पुताई का कार्य।	रू0–52,206/–	1 माह	रू0–5,300/–	50+500=550
2.	पुलिस लाइन बॉदा में CWR के पीछे 25 मी0 बाउण्ड्रीवॉल की विशेष मरम्मत।	रू0–1,13,491/–	1 माह	रू0–11,500/–	75+500=575
3.	प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन बॉदा के आवास की 35 मी0 बाउण्ड्रीवॉल की विशेष मरम्मत।	रू0–1,43,845/–	1 माह	रू0–14,500/–	75+500=575
4.	पुलिस लाइन बॉदा के सैनिक सम्मेलन हाल की फॉल सीलिंग की प्लास्टर के मरम्मत का कार्य।	रू0–1,70,128/–	1 माह	रू0–17,500/–	75+500=575
5.	पुलिस लाइन बॉदा के सैनिक सम्मेलन हाल की छत एवं अन्दर की सीलिंग की प्लास्टर के मरम्मत का कार्य।	रू0–96,970/–	1 माह	रू0–10,000/–	50+500=550
6.	पुलिस कार्यालय बॉदा में एल.आई.यू. कार्यालय से प्रधान लिपिक कक्ष होते हुये महिला सेल कक्ष तक एप्रोच की विशेष मरम्मत।	रू0–84,000/–	1 माह	रू0–8,500/–	50+500=550
7.	शस्त्रागार एवं मैग्जीन कक्ष के छत की विशेष मरम्मत।	रू0–9,978/–	1 माह	रू0–1,000/–	50+500=550
8.	शाखा प्रधान लिपिक, पुलिस कार्यालय भवन लिपिक कक्ष,दफ्तरी कोठरी के छतों की विशेष मरम्मत।	रू0–29,932/–	1 माह	रू0–3,000/–	50+500=550
9.	शाखा डी0सी0आर0बी0, पुलिस कार्यालय बॉदा के छत की विशेष मरम्मत।	रू0–9,959/–	1 माह	रू0–1,000/–	50+500=550
10.	आवास सं0–3 टाइप तृतीय (पुराना), पुलिस लाइन बॉदा के छत, छज्जों, किचेन, शौचालय, स्नानागार फर्श आदि की विशेष मरम्मत।	रू0–44,173/–	1 माह	रू0–4,500/–	50+500=550
11.	परिवहन शाखा गैरेज पुलिस लाइन, बॉदा के छत की विशेष मरम्मत।	रू0–10,201/–	1 माह	रू0–1,500/–	50+500=550
12.	आवास सं0–15 टाइप तृतीय, पुरानी पुलिस लाइन्स बॉदा के छत की विशेष मरम्मत।	रू0–29,219/–	1 माह	रू0–3,000/–	50+500=550
13.	आवास सं0–43 टाइप प्रथम के छत व छज्जा की विशेष मरम्मत।	रू0–19,139/–	1 माह	रू0–2,000/–	50+500=550
14.	आवास सं0–134 टाइप प्रथम के छत व छज्जा की विशेष मरम्मत।	रू0–49,530/–	1 माह	रू0–5,000/–	50+500=550
15.	आवास सं0–02 टाइप द्वितीय(नया) के दरवाजे, नाली एवं फर्श की विशेष मरम्मत।	रू0–10,505/–	1 माह	रू0–1,500/–	50+500=550
16.	आवास सं0–12 टाइप द्वितीय(पुराना) के छत, छज्जों, किचेन, शौचालय, स्नानागार, फर्श आदि की विशेष मरम्मत।	रू0–50,000/–	1 माह	रू0–5,000/–	50+500=550
17.	आवास सं0–113 टाइप प्रथम, पुलिस लाइन के छत एवं छज्जा की विशेष मरम्मत।	रू0–14,913/–	1 माह	रू0–1,500/–	50+500=550
18.	आवास सं0–189 टाइप प्रथम पुलिस लाइन्स के शौचालय के दरवाजे एवं नाली की विशेष मरम्मत।	रू0–11,021/–	1 माह	रू0–1,500/–	50+500=550
19.	आवास सं0–26 टाइप प्रथम (नया) पुलिस लाइन के दरवाजों एवं खिड़कियों की विशेष मरम्मत।	रू0–9,919/–	1 माह	रू0–1,000/–	50+500=550
20.	आवास सं0–207 टाइप प्रथम, पुरानी पुलस लाइन्स के छत, दरवाजे एवं फर्श के विशेष मरम्मत।	रू0–15,542/–	1 माह	रू0–2000/–	50+500=550

नियम एंव शर्ते

1. निविदादाता को जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–1), हैसियत प्रमाण पत्र (आई0डी0टी0–2), शासन द्वारा निर्धारित घोषणा पत्र (आई0डी0टी0–3) रू. 100.00 के स्टैम्प पेपर पर जो कि नोटरी द्वारा सत्यापित हो तथा अनुभव प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 नम्बर, पैन नम्बर की छायाप्रतियां। मु0 100.00 रूपये के जुडिशियल स्टैम्प पेपर, धरोहर धनराशि रूपये 1.00 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी।
2. निविदादाता को श्रम विभाग से नियमानुसार पंजीयन कराना अनिवार्य है।
3. निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि, के रूप में एन0एस0सी0, एफ0डी0आर0, सी0डी0आर0/के0बी0पी0 पुलिस अधीक्षक बांदा के पक्ष में बन्धक हो जमा करना होना अनिवार्य है तथा निविदा शुल्क पुलिस अधीक्षक बांदा, कार्यालय में पर देना अनिवार्य होगा।
4. नियमानुसार देय जी.एस.टी., आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रॉयल्टी, लेबर सेस आदि की प्रचलित दर पर टैक्स देना होगा। अनुबन्ध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी की धनराशि जमा करनी होगी तथा निर्धारित अवधि तक कार्य पूर्ण करना होगा।
5. कार्य स्थल की आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढ़ाई जा सकती है जिसके लिए निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
6. यह माना जाएगा कि निविदा देने वाले ने विभाग के स्पेशिफिकेशन व निविदा के साथ संलग्न शर्तों, धाराओं व नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ व समझ लिया है। वह उनके अनुसार कार्य करने पर सहमत है। ठेकेदार का दायित्व होगा कि निविदा डालने के पूर्व निर्माण कार्य स्थल व सामग्री ले जाने हेतु पहुंच मार्ग का परीक्षण कर लें एवं पूर्ण संतुष्टि के उपरान्त ही निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग करें। निविदा प्रक्रिया में वैध ठेकेदार ही भाग ले सकेगा।
7. यदि कोई निविदादाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षम प्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम निविदा की स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकेगी।
8. विशेष परिस्थितियों में निविदा खोलने की तिथि/समय में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकी सूचना नोटिस बोर्ड में चस्पा एवं निविदादाता अथवा उसके के मोबाइल पर उपलब्ध करा दी जायेगी।
9. शासनादेश संख्या 622 दिनाकं 08.06.2012 के अन्तर्गत ठेकेदार को 10 प्रतिशत कम दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति एक प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफारमेन्स गारण्टी देय होगी।
10. बिना औचित्य एवं बिना किसी आधार के दरें डाले जाने पर निविदा निरस्त किये जाने एवं निविदादाता पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी
11. डिफाल्टर निविदादाता निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे। साथ ही किसी राजकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार भी निविदा प्रक्रिया में प्रतिभाग कर सकते हैं।
12. निविदादाता अपने हस्ताक्षर के नीचे अपना पूरा नाम, मोबाइल नंबर व पता साफ–साफ लिखें। उसी पते पर उससे अनुबन्ध सम्बन्धी पत्र व्यवहार किया जाएगा। टेण्डर स्वीकृत होने के दो दिवस के अन्दर अनुबन्ध की कार्यवाही पूर्ण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर टेण्डर निरस्त कर दिया जायेगा और जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. यदि निविदादाता मजदूरों को कार्य स्थल पर रखता है तो उसे अपने खर्चे पर मजदूरों के रहने, पानी पीने, शौंच, सफाई इत्यादि का उचित प्रबन्ध करना होगा। निविदादाता कार्य करते समय कार्य में लगे मजदूरों को सभी प्रकार की दुर्घटना से बचाने का यथा सम्भव प्रयत्न रखेगा व केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गए सुरक्षा सम्बन्धी सलाहों, नियमों का कड़ाई से पालन करेगा। इस पर भी यदि कार्य करते समय कार्य स्थल पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका नियमानुसार मुआवजा इत्यादि देने का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा। इस सम्बन्ध में विभाग कोई दावा स्वीकार नहीं करेगा।
14. उ0प्र0 शासन लखनऊ निर्देशानुसार कोविड–19 कोरोना वायरस के दृष्टिगत कार्यस्थल सोशल डिस्टेंसिंग,सैनीटेशन एवं सैनिटाईजेशन का पालन ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेश एवं निर्देशों का पालन भी ठेकेदार द्वारा कराया जायेगा।
15. इस निविदा को पूर्व या आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार बिना कारण बताये अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। निविदा के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर न्यायिक क्षेत्राधिकारी बॉदा होगा।

02.2.21

अपर पुलिस अधीक्षक,
बॉदा।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
2. जिलाधिकारी बांदा।
3. पुलिस अधीक्षक जनपद बांदा।
4. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

मूल पर नहीं:-
प्रतिलिपि:-

1. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बाँदा को उक्त सूचना एवं निविदा की एक-एक साफत/हार्ड कापी इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त निविदा की सूचना एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर निःशुल्क अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. सम्पादक दैनिक......आज............को इस आशयक से प्रेषित कि उक्त निविदाओं का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
3. सम्पादक दैनिक......सहारा............को इस आशयक से प्रेषित कि उक्त निविदाओं का प्रकाशन आगामी अंक में कम से कम स्थान पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. क्षेत्राधिकारी लाइन/भवन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन बाँदा को उक्त निविदा का प्रकाशन समाचार पत्र में तत्काल कराने एवं एनआईसी बाँदा की वेबसाईड व सी0सी0टी0एन0एस0 पुलिस कार्यालय बाँदा की वेबसाईड में अपलोड कराने एवं व्यापक प्रचार प्रसार एवं टेण्डरिंग व्यवस्था सम्पन्न व आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु।
6. प्रभारी सी0सी0टी0एन0एस0.पुलिस कार्यालय बाँदा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. प्रभारी मीडिया, सेल पुलिस कार्यालय बाँदा को प्रचार-प्रसार एवं अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।

02/2/21

अपर पुलिस अधीक्षक,
बाँदा।